राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 14.03.2026

राजस्व वाद संख्याः	89 / 2025
जीसीएमएस संख्याः	2025 / 173
दायर दिनांकः	16.06.2025

1. केशर देवी पत्नी स्व0 परसाराम जाति जाट निवासिनी खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.... प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री महेश शर्मा।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

—:निर्णयः—

निर्णय दिनांकः 14.03.2026

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीनी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। खेत ससरा संख्या 690 / 47 रकबा 3.7302 है0, खसरा नम्बर 693 / 51 रका 1.5174 है0 वाके रोही ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ वादीनी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। वादीनी का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जालु देवी दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि वादीनी का सही नाम केशर देवी है। अन्य दस्तावेज भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि में भी वादीनी का सही नाम केशर देवी ही अंकित है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादीनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया किवादीनी के अन्य दस्तोवजों में वादीनी का सही नाम केशर देवी अंकित है जबकि राजस्व

रिकॉर्ड में वादीनी का नाम जालु देवी दर्ज है। जालु देवी व केशर देवी दोनों एक ही व्यक्ति है। अलग–अलग नहीं है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में केशर देवी दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज छांयाप्रति यथा आधार कार्ड आदि में वादीनी का नाम केशर देवी अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

वाद वादीनी राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत रोही ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 114 में दर्ज खातेदार का नाम जालूदेवी के स्थान पर केशर देवी दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्टियां तथा रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2026 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 14.03.2026

केशर देवी बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा न0 89 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ हाजरी श्री महेश शर्मा एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादीनी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादीनी का नाम रोही ग्राम खुड़ी के खाता संख्या 114 के राजस्व रिकोर्ड में जालूदेवी गलत अंकित है। वादीनी का सही नाम केशर देवी है। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत रोही ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ के उपर्युक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का नाम दुरूस्त किया जाए। अन्य सभी प्रविष्टियां एवं रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 14 माह 03 वर्ष 2026**

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये